

# Meticulous Investigation & Prosecution



#### **BAGHPAT POLICE**

आरोपी दीपक उर्फ छोटू को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई <mark>03 माह 20 दिन के कारावास व</mark> 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त दीपक उर्फ छोटू पुत्र संजीव निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के विरूद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 250/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.01.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ छोटू को दोषी पाते हुए 03 माह 20 दिन के कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।







**Baghpat Police** 





दिनाँक 10.01.2025

# बागपत पुलिस ने 35 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

## कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 35 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

# गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम

#### व पताः-

- 1.अमित पुत्र रामे निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.साजिद पुत्र इलियास निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत।।
- 3.मांगे पुत्र टिसाला निवासी ग्राम झुन्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4.शब्बीर पुत्र बुन्दू मुसलमान निवासी ग्राम झुन्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5.नरेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 6.सुभाष पुत्र फूल सिंह निवासी करूबा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 7.हारून पुत्र अख्तर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 8.सारून पुत्र अख्तर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 9.भूरा उर्फ साजिद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 10-शाहरुख पुत्र साबर निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 11-इस्लाम पुत्र सब्बार ानवासा ग्राम ासनाला थाना छपराला जनपद बागपत ।



# 12-मोनू पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

- 13-अनुज पुत्र अशोक निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 14-दीपक पुत्र संजीव निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 15-निखिल पुत्र उसेन्द्र निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 16-उसेन्द्र पुत्र हरख्याल निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 17-गुल्लू पुत्र बाबू निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 18-बोनी पुत्र बाबू निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 19-अनिल पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 20-अनुज पुत्र हरपाल निवासी ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 21-किरणपाल उर्फ किरणू पुत्र दुर्गा जोगी निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 22-अनुज पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 23-आशीष पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 24-मुकेश कुमार उर्फ मालू पुत्र विजय निवासी ग्राम वाजिपदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 25-संजय पुत्र गिरवर निवासी पट्टी खोब्बा महावपतपुर बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 26-ओमपाल पुत्र जयलाल निवासी ग्राम महरामपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 27-इकरामुद्दीन पुत्र अल्ला मेहर निवासी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 28-आयुष पुत्र प्रमोद निवासी पाठशाला रोड करूबा खेकडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 29-विक्की पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 30-ईश्वरपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह नि0 काठा थाना बागपत जनपद बागपत
- 31-आबिद पुत्र मुस्तफा निवासी मौ0 मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 32-हारुण पुत्र मुस्तफा निवासी मौ0 मुगलपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 33-रिजवान पुत्र असलम निवासी मौ0 गायत्रीपुरम करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 34-गौरव पुत्र जगमेहर निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 35-मोहब्बत अली पुत्र नियाजु निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत । गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
- 1-थाना दोघट पुलिस टीम। (04 वारंटी)
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम। (05 वारंटी)
- 3-थाना छपरौली पुलिस टीम। (03 वारंटी)
- 4-थाना बिनौली पुलिस टीम । (08 वारंटी)

5-थाना बालैनी पुलिस टीम। (03 वारंटी)

6-थाना बडौत पुलिस टीम। (02 वारंटी)

7-थाना खेकडा पुलिस टीम। (03 वारंट)

8-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (06 वारंटी)

9-थाना रमाला पुलिस टीम। (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 10.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 15/25 धारा
318(4)/316(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके
कब्जे से नकली नोट बरामद।

## कार्यवाही-

दिनांक 09.01.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी पिस्तेराम पुत्र विसम्बर निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा वादी से 1,70,000 रुपये लिये थे जो वापस नही दिये तथा धोखाधडी से 500-500 के 440 नोट (मनोरंजन बैंक ) नकली नोट जिसमें गड़डी के ऊपर व



नीचे असली के 02 नोट व 100-100 के 80 नोट (मनोरंजन बैंक) नकली जिसमें गड्डी के ऊपर व नीचे असली 02 नोट दिये। अभियुक्त संदीप पुत्र शिवकुमार निवासी सैक्टर-3 माधवपुरम ब्रहमपुरी को मौके पर ही वादी एवं उसके साथियों द्वारा पकडकर थाना कोतवाली बागपत पर लाया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 15/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 500 के 440 व 100 के 80 नकली नोट बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

# गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

- 1. अब्वास पुत्र इलियास अल्वी निवासी ग्राम दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2. अरुण पुत्र गोपाल निवासी ग्राम दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- संदीप पुत्र शिवकुमार निवासी सैक्टर-3 माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ। बरामदगी का विवरण-
  - 500 के 440 नकली नोट।
  - 100 के 80 नकली नोट।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार को0बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- है0का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



दिनाँक 10.01.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/24 धारा 351(3)/108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 01.09.24 को थाना छपरौली पर वादी नितेश पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31.08.24 को वादी के पिता ज्ञानी उम्र 65 को अभियुक्तों 1.अरविन्द पुत्र हुक्मी, 2.प्रवीण पुत्र हुक्मी व 3.देवेन्द्र पुत्र चरण सिंह निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत



द्वारा जान से मारने की धमकी दी व आत्महत्या के लिये उकसाया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 221/24 धारा 351(3)/108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/24 धारा 351(3)/108 बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

# गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जरियन्द पुत्र हुपनी निवासी ग्रान नौरोजपुर गुर्जर याना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली बागपत
- 2- का.227 अनिल कुमार डागर थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 10.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 933/24 धारा 137(2)/70(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 933/24 धारा 137(2)/70(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 07-11-2024 को बरामद किया जा चुका है।

उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 23-12-2024 को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला कारागार निरुद्ध किया जा चुका है।

# गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रााहिप पुत्र जय्पुष निपात्ती प्रान खुष्वीपुर निपां याना पर्रातपाली बागपत जिला बागपत ।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना को0बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना सिंघावली अहीर

दिनाँक 10.01.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 10/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.01.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी संजीव उर्फ भालू पुत्र धर्मवीर निवासी हजूराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त कपिल पुत्र हरवीर निवासी हजूराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर फायर किया, जिससे वादी बाल-बाल बच गया। इस सम्बध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



# कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 10/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियक्त का नाम व पता:-

# कपिल पुत्र हरवीर निवासी हजूराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- 1.मु0अ0सं0 10/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0स0112/24 धारा 302/120वी भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0स0 33/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत। <u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
- 1-उ0नि0 दिग्विजय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 622 दिनेश कुमार सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3- है0का0456 मनोज शर्मा सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

